



सं.सीपज़-सेज़/एडमिन/171/2011-12/वाँल्यू-XV/2087g

20 दिसम्बर, 2021

भर्ती विज्ञापन

विषय: प्रतिनियुक्ति (लागत वसूली) के आधार पर सहायक विकास आयुक्त की भर्ती।

विकास आयुक्त कार्यालय, सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति (लागत वसूली) के आधार पर सहायक विकास आयुक्त के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या
1	सहायक विकास आयुक्त	रु. 9300-34800+4600 (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार स्तर-7)	19 (मुंबई के लिए 07 पद और पुणे के लिए 12 पद)

पात्रता मापदंड:

सहायक विकास आयुक्त [पे बैंड और ग्रेड पे- रु. 9300-34800+ जीपी रु. 4600 (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार लेवल-7)]:


- (ए) (i) नियमित आधार के सदृश पद ग्रहण करते हों: या
(ii) जिन्होंने रु. 5500-9000 (पूर्व-संशोधित) के समतुल्य वेतनमान में इन पदों पर 3 साल की नियमित सेवा की हो: या
(iii) जिन्होंने रु. 5000- 8000 (पूर्व-संशोधित) के समतुल्य वेतनमान में इन पदों पर 8 साल की नियमित सेवा की हो।

- (बी) जो विदेश व्यापार या औद्योगिक विकास कार्य में 2 वर्ष का अनुभव रखते हों।
[प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) और स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पाने की अंतिम ताराख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]

2. नियुक्ति कम से कम तीन साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति (लागत वसूली) के आधार पर होगी और योग्यता के आधार पर समय-समय पर डीओपीटी के दिशानिर्देशों द्वारा आगे विस्तार किया जाएगा।

3. प्रतिनियुक्ति पर, अधिकारी प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसा कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी- 6/8/2009-स्था (वेतन- II) दिनांक 17 जून, 2010 (संशोधित), में निर्धारित किया गया है।
4. योग्य और इच्छुक अधिकारी जिन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ चयन की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है, संलग्न प्रोफार्मा के रूप में आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं:
ए) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले पांच वर्षों के एपीएआर की प्रति।
बी) सतर्कता मंजूरी प्रमाणपत्र
सी) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र
डी) पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी भी लंबित कार्यवाही के दौरान लगाए गए दंड का विवरण यदि कोई विचाराधीन है।
5. उचित माध्यम से प्राप्त होने के बाद ही आवेदन पर विचार किया जाएगा।
6. उपरोक्त आवश्यकताओं के अभाव में और आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय दस्तावेजों द्वारा समर्थित शैक्षणिक एवं कार्य अनुभव (सीवी) का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
8. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:
विकास आयुक्त,
सीप्लू विशेष आर्थिक क्षेत्र,
भारत सरकार,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
सीप्लू सेवा केंद्र भवन,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096
9. यह विज्ञापन 01 वर्ष (रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से) के लिए खुला विज्ञापन है। एक महीने में प्राप्त आवेदनों की पात्रता शर्तों के अनुसार की जांच जाएगी। चुने हुए उम्मीदवारों का साक्षात्कार अगले महीने में रिक्तियों को भरने तक या विकास आयुक्त के आदेश के अनुसार लिया जाएगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि ये पद लागत वसूली के आधार पर हैं, अतः इनके आमेलन का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध में किए जाने वाले अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट : हिन्दी और अंग्रेजी विज्ञापन में कोई भी अन्तर होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।


उप विकास आयुक्त
सीप्लू-सेज़